**सं. 19/116/2024-कार्मिक नीति(वेतन)(पार्ट)**

**भारत सरकार**

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय**

**कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग**

***

**नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली**

**दिनांकः 20 मई, 2025**

# कार्यालय ज्ञापन

**विषय: 30 जून/31 दिसंबर को केन्द्र सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को उनके पेंशन संबंधी लाभों की गणना के प्रयोजनार्थ क्रमशः 1 जुलाई/1 जनवरी को काल्पनिक वेतन वृद्धि प्रदान करने के संबंध में।**

***

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 14.10.2024 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन (प्रतिलिपि संलग्न) के तहत जारी किए गए अनुदेशों की ओर ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है, जो उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को 1 जुलाई/1 जनवरी को 'काल्पनिक वेतन वृद्धि' प्रदान करने के संबंध में है, जो इसके देय होने से एक दिन पहले अर्थात् 30 जून/31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो गए/हो रहे हैं और जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख तक की स्थिति के अनुसार संतोषजनक कार्य और अच्छे आचरण के साथ अपेक्षित अर्हक सेवा प्रदान की है, ताकि उन्हें स्वीकार्य पेंशन की गणना की जा सके। उक्त अनुदेश, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 06.09.2024 को पारित उस अंतरिम आदेश के अनुपालन में जारी किए गए थे, जो रेलवे मंत्रालय द्वारा दायर एमए संख्या 2400/2024 और उसके साथ जुड़े कई अंतर्क्षेपी आवेदनों पर सुनवाई करते हुए पारित किया गया था। इसमें यह संकेत दिया गया था कि कृत कार्रवाई, इस विभाग द्वारा इस विषयवस्तु पर सीए संख्या 2471/2023 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11.04.2023 के आदेश की समीक्षा की मांग करने के लिए दायर की गई याचिका (डा.सं. 36418/2024) पर अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगी।

2. माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 18.12.2024 के आदेश के तहत इस विभाग द्वारा दायर की गई समीक्षा याचिका (डा.सं. 36418/2024) को इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया था कि रिकॉर्ड को देखने पर कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं होती है, जिसके कारण प्रतिवादित आदेश पर पुनर्विचार किया जाना आवश्यक हो।

3. माननीय उच्चतम न्यायालय ने तत्पश्चात् रेलवे मंत्रालय द्वारा दायर की गई एमए संख्या 2400/2024 और अन्य याचिकाओं का दिनांक 20.02.2025 के आदेश के तहत इस मामले में निम्नलिखित अंतिम निदेश जारी करते हुए निपटान किया:



20/05/2025

क. दिनांक 11.04.2023 का निर्णय तृतीय पक्षों के मामले में निर्णय की तिथि से प्रभावी होगा, अर्थात एक वेतन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेंशन 01.05.2023 को और उसके बाद देय होगी। 30.04.2023 से पहले की अवधि के लिए बढ़ी हुई पेंशन (आदेश में गलती से 31.04.2023 के रूप में उल्लेखित) का भुगतान नहीं किया जाएगा।

ख. जिन व्यक्तियों ने रिट याचिकाएं दायर की हैं और सफल हुए हैं, उनके लिए उक्त निर्णय में दिए गए निर्देश, पूर्वन्याय के रूप में कार्य करेंगे, और तदनुसार, एक वेतन वृद्धि के साथ बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान करना होगा।

ग. जहां निर्णय अंतिम रूप नहीं ले पाया है वहां (ख) में दिए गए निर्देश लागू नहीं होंगे और ऐसे मामले जहां अपील की गई है, या यदि दायर की गई है, तो अपीलीय अदालत द्वारा उस पर विचार किया जाए।

घ. यदि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी ने केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण/उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के समक्ष अंतर्क्षेप/अभियोग/रिट याचिका/मूल आवेदन के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया है, तो एक वेतन वृद्धि सहित बढ़ी हुई पेंशन, अंतर्क्षेप/अभियोग/रिट याचिका/मूल आवेदन के लिए आवेदन दायर किए जाने वाले माह से पूर्व के तीन वर्षों की अवधि के लिए देय होगी।

4. माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि उपर्युक्त पैरा 3(घ) में संदर्भित निदेश उस सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी पर लागू नहीं होंगे, जिसने "भारत संघ एवं अन्य बनाम एम. सिद्धराज" में निर्णय के पश्चात् केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण/उच्च न्यायालयों/उच्चतम न्यायालय के समक्ष कोई रिट याचिका/मूल आवेदन या अंतर्क्षेप के लिए कोई आवेदन दायर किया हो, क्योंकि ऐसे मामलों में पैरा 3(क) में संदर्भित निदेश लागू होंगे।

5. इसके अलावा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि बकाया राशि सहित कोई अतिरिक्त भुगतान पहले ही किया जा चुका है, तो भुगतान की गई ऐसी राशि की वसूली नहीं की जाएगी। न्यायालय ने निर्णय लिया है कि सभी अंतर्क्षेप/अभियोजन आवेदनों सहित लंबित आवेदनों का निपटान, इस आदेश के अनुसार किया जाएगा।

6. इस मामले की जांच व्यय विभाग और विधि कार्य विभाग के परामर्श से की गई है। यह सलाह दी जाती है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 20.02.2025 के उपर्युक्त आदेश के अनुसरण में, उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को 1 जुलाई/1 जनवरी को वेतन वृद्धि की अनुमति देने के लिए कार्रवाई की जा सकती है, जो इसके देय होने से एक दिन पहले अर्थात् 30



20/05/2025

जून/31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए/हो रहे हैं और जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख तक संतोषजनक कार्य और अच्छे आचरण के साथ अपेक्षित अर्हक सेवा प्रदान की है, ताकि उन्हें स्वीकार्य पेंशन की गणना की जा सके। जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, 1 जनवरी/1 जुलाई को काल्पनिक वेतन वृद्धि प्रदान करने की गणना केवल स्वीकार्य पेंशन को परिकलित करने के प्रयोजनार्थ ही की जाएगी, न कि अन्य पेंशन लाभों की गणना के उद्देश्य से।

7. इसे व्यय विभाग के डा.सं. संख्या 08-09/2019-ई.IIIक (वॉल्यूम.III) (4265134), दिनांक 29.04.2025 और विधिक कार्य विभाग के कंप्यूटर डा.सं. ई-144903, दिनांक 17.03.2025 के तहत उनकी सहमति से जारी किया जाता है।

**संलग्नकः यथोक्त**

विकास
20/05/2025

**(विकास)**
**अवर सचिव, भारत सरकार**
**दूरभाष सं. 20340489**

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

प्रतिलिपि इन्हें भी अग्रेषित की गई:

1. महासचिव, भारत का उच्चतम न्यायालय।
2. महालेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय।
3. संघ लोक सेवा आयोग/लोकसभा सचिवालय/राज्यसभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उपराष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/नीति आयोग।
4. सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारें।
5. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (एआईएस प्रभाग), जेसीए/प्रशासन अनुभाग।
6. सचिव, जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद (स्टाफ पक्ष), 13-सी, फिरोज शाह रोड, नई दिल्ली।
7. जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद/विभाग परिषद के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य।
8. व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय।